

प्रकरण सं० :- 91 / 2017

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 ए, 209 आर टी एक्ट

7


वादी की ओर से वकील श्री श्रवण बिश्नोई ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 209 आर टी एक्ट के तहत प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि०एडी० सम्मन तलवाना पेश करने पर तलबी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.10.2017 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

25/11/17

~~वादी स्वयं व वकील वादी उपस्थित होकर~~  
~~पत्रावली पेश करने पर पत्रावली द्वारा~~  
~~पेश हुई व निवेदन किया कि चूंकि~~  
~~वादी का प्रतिवादीगण के साथ पंच पंचायत में~~  
~~राजनीनामा कावा निदना हैं प्राचीं/वादी को~~  
~~प्रतिवादीगण सामा। ता न ने पंच पंचायत~~  
~~ताम की जड ठेका की राशी मात्र मात्र 2,50,000/-~~  
~~आवेत दो लाख पचास हजार रुपये वापिस~~  
~~आदा कर दी है वादी/प्राचीं विवादित कृषी~~  
~~भूमि का कब्जा एकी फसल का वापिस~~  
~~प्रतिवादीगण को देने हेतु सहमत है इन्होंने~~  
~~वादी/प्राचीं उक्त अनवान के दावा में आगामी~~  
~~कोई कार्यवाही नहीं चाहता।~~

आतः प्रा० पत्र पेश कर निवेदन  
है कि उक्त अनवान वाद को राजनीनामा

  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

चंदुलाल

अध्यायक

उपखण्ड अधिकारी

अध्यायक  
महल सिंह

अध्यायक  
महल सिंह

के आधार पर इस तरह पर नोटबुक  
के आधार पर जारी किए जाने के  
आदेश फरमावे।

पत्रावली का आवलोकन किया गया  
प्रार्थना पर पर मजबूत किया गया। इतना  
बाकी / बाकी द्वारा प्रस्तुत पाठ पर स्वीकार  
किया जाता है व बाकी बाकी इस स्टेज पर  
(Meet Best) से जारी किया जाता है।  
पत्रावली फिलहाल शून्य होकर गमल के  
कम होकर दायिल दफतर है।

निर्देश द्वारा दिनांक 25/9/17 को  
द्वारा मंत्रालय से सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना